राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 1(1)कार्मिक/क–2/2016 जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2021

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–राजकीय सेवा में/पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.12.19 द्वारा आपराधिक प्रकरणों वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र मानें जाने अथवा नहीं माने जानें के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2. **"ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए"** के क्लॉज (ii) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किया गया हैः–

(ii) दोषमुक्ति के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत (antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

इस संबंध में विभिन्न विभागों से राय हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हो रहे है कि इस में उल्लेखित समिति का स्वरूप क्या होगा तथा पुलिस अधिकारी किस रेंक का होगा?

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 4.12.2019 के अनुसार दोषमुक्ति के प्रकरणों में निर्णय के लिए विभाग के स्तर पर समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

1. राज्य सेवा के पदों के मामले में:–

1. संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष
2. संबंधित रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मनोनीत एक पुलिस अधिकारी जो उपाधीक्षक रेंक से कम न हो	सदस्य
3. विधि विभाग का प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
4. संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य सचिव

2. अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों के मामलें में:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2. संबंधित रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा मनोनीत एक पुलिस अधिकारी जो उपाधीक्षक रेंक से कम न हो	सदस्य
3. विधि विभाग का प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य

4. संबंधित विभाग में संस्थापन का प्रभारी अधिकारी जो उप निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर का हो — सदस्य सचिव

अतः समस्त नियोक्ता प्राधिकारी न्यायिक मामलों में दोषमुक्ति के प्रकरणों में सेवाओं के वर्गीकरण के अनुसार उपरोक्त समिति का गठन कर चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में विभाग के स्तर पर निर्णय कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करनें के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगें।

26/10/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

59/21